देश देख रहा है विपक्ष का तमाशा : शिवराज

टीएमसी ने किसानों को योजनाओं से वंचित कर पाप किया : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 10 मार्च. आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल सरकार और विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी की सरकार ने सस्ती और घटिया राजनीति के लिए गरीब किसानों को केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित कर पाप किया है।

उन्होंने कहा कि देशभर में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने केवल प्रधानमंत्री के नाम से आपत्ति के कारण योजनाएँ लागू न कर किसानों के साथ खुला अन्याय किया है, जिसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव में देगी। पश्चिम बंगाल पर सीधा हमला- किसानों के साथ पाप किया है।

सरकार बदलेगी तो सब योजनाएं लागू होंगी

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि टीएमसी सरकार की वजह से पश्चिम बंगाल के गरीब किसान केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हैं, लेकिन जैसे ही राज्य में सरकार बदलेगी, भाजपा की सरकार सभी योजनाएँ पूरी ताकत से लागू कर किसानों को उनका हक दिलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है, जबकि विपक्ष और टीएमसी केवल नारेबाजी और अवरोध की राजनीति कर रहे हैं, जिसे जनता लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी।

सरकार ने छीन ली है लोकसभा अध्यक्ष की आजादी : प्रियंका

नई दिल्ली, 10 मार्च. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष नाम की संस्था की आजादी खत्म कर दी है लेकिन विपक्ष उसे बचाने में लगा है. उन्होंने कहा कि इसी मसले पर व्यापक चर्चा के मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. श्रीमती वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार ने अध्यक्ष की स्वतंत्रता छीन ली है. ये लोग हर संस्था को खत्म करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा हम हर उस संस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है. भाजपा के लोगों को यही बातें पचती नहीं हैं, इसलिए वे सदन को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं. मेरी दादी इंदिरा जी कहती थीं- कोई नकली बनने की कोशिश करे या झूठी इमेज दिखाए, देश की जनता उसकी सच्चाई जान ही जाएगी. उन्होंने सदन के बाहर भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा मेरे भाई राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं. वो देश में एक ही व्यक्ति हैं, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं हैं.

ट्रम्प के सामने नतमस्तक है सरकार : केजरीवाल

नई दिल्ली, 10 मार्च. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी किसी मजबूरी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक है और देश उसी की सजा भुगत रहा है।

श्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को कहा, देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। केवल घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जाएगी। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। आप संयोजक ने कहा, सरकार अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण श्री ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरु मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त अधि. की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओं) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है कि वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में वर्णित संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ता ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता (ओं) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02010001181 02010001408 / उज्जैन शाखा) अर्जुन सोलंकी (ऋणी) संजू (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ, एफएफ मकान नं.378, सरल नं.990, चौसालकुल्मी तहसील शाजापुर, मक्सी रोड, चौसालकुल्मी, वार्ड नं.14, चौसालकुल्मी, शाजापुर, म.प्र.-465110 **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व- कैलाश का मकान, पश्चिम- कच्चा रास्ता, उत्तर- कालीमाता मन्दिर, दक्षिण- कन्हैयालाल पिता भैरुलाल का मकान	11-08-2025 & ₹ 11,11,203/-	09-03-2026
2	(लोन कोड नं. 02000000889/ उज्जैन शाखा) सुरेश शिवनारायण (ऋणी) सावजीराम भोनजी (सह-ऋणी) भगवान सिंह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं.61, प.ह.नं. 26, वार्ड नं. 1, नया नं.2, नयापुरा से नरसी रोड, संट एसवी छात्रावास के पास, माकडोन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - श्री करण सेठ का मकान, उत्तर - मोहनलाल का मकान, दक्षिण - रफीक खा का मकान	06-10-2025 & ₹ 5,12,470/-	09-03-2026
3	(लोन कोड नं. 02010000937/ उज्जैन शाखा) शुभम सोलंकी शिवाजी सोलंकी (ऋणी) शिवनारायण एवं संगीता बाई शिवनारायण (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ, एफ.एफ एवं एस.एफ मकान नंबर 24 काजीपुरा कालका माता रोड तराना वार्ड नंबर 13 तराना उज्जैन म. प्र. - 456665 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व -रास्ता, पश्चिम - गिरधारीलाल का मकान, उत्तर - मनोहर जी का मकान, दक्षिण - दुर्गा शंकर का मकान	10-11-2025 & ₹ 17,59,434/-	09-03-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 11-03-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ईसी तत्काल कार्रवाई करे : सुको

नई दिल्ली, 10 मार्च. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से बाहर किये गये लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है. इन न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे. न्यायालय ने मंगलवार को एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र की गैरहाजिरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और दो-तीन पूर्व न्यायाधीशों (कलकत्ता उच्च न्यायालय या पड़ोसी राज्यों को प्राथमिकता के साथ) के नामों की सिफारिश कर सकते हैं. एक बार नाम सामने आने के बाद, निर्वाचन आयोग इन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अधिसूचित करेगा. वे तब एसआईआर प्रक्रिया मामले में आयी अपीलों की सुनवाई करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जैसे ही मुख्य न्यायाधीश पूरक सूचियों के प्रकाशन के संबंध में उचित सिफारिश करेंगे, चुनाव आयोग को उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने दिनांक 16.12.2025 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. नेगी बैटरी, 2. इंदु नेगी, 3. ललित नेगी को नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कि दिनांक 05.12.2025 तक रु. 1,46,47,231.14/- (एक करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ इकतीस और चौदह पैसे मात्र) उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर देय है।

ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26 फरवरी 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकताओं और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के प्रभार के अधीन होगा। रू. 1,46,47,231.14/- (एक करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ इकतीस और चौदह पैसे मात्र) और उस पर ब्याज।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

बंधक संपत्ति का विवरण

मकान संख्या CH-53 का वह पूरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 2001 वर्ग फुट है, जो जूनियर हाई-आई.जी. सुखल्या, ग्राम: सुखल्या, इंदौर, मध्य प्रदेश-452010 में स्थित आवासीय कॉलोनी में है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: सीनियर हाई-आई.जी., उत्तर: मकान संख्या CH-52 जूनियर हाई-आई.जी., पश्चिम: एम.आर. 10, दक्षिण: मकान संख्या CH-54 जूनियर हाई-आई.जी.

दिनांक: 26.02.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 140903885

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर भारत सख्त

न्यूयॉर्क। 10 मार्च. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए वहां हुए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि अफगान की जमीन पर किए गए ये हवाई हमले अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हालिया रिपोर्ट में सीमा पार सशस्त्र हिंसा से हुए नागरिक हताहतों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। भारत इस चिंता का समर्थन करता है और सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून तथा मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने अपील करता है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारत ने अपने बयान में आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि आईएसआईएल और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ-साथ उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्रवाई बेहद जरूरी है।उन्होंने विशेष रूप से लश्कर- ए- तैयबा, जैश- ए- मोहम्मद और उनके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र करते हुए कहा कि इन संगठनों और इनके समर्थकों को सीमा पार आतंकवाद फैलाने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी।

185 नागरिकों की मौत पर भारत चिंतित

भारत ने कहा कि पवित्र रमजान के महीने में हुए इन हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार 6 मार्च 2026 तक 185 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा इन हमलों की वजह से एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।

कार्यालय प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म. प्र.)
Re-accredited by NAAC"B' (CGPA 2.47) Grade
E-mail-hegpgcbad@mp.gov.in Phone & Fax 07290222035

बड़वानी, दिनांक - 06.03.2026

एम.पी. टेंडर के माध्यम से जारी ऑनलाईन निविदा की विज्ञप्ति सूचना

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी में प्रयोगशालाओं के उपकरण क्रय करने हेतु शासन के एम.पी टेंडर पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु निविदा जारी की गई है। निविदा का क्रमांक 2026_HED_484647_2 दिनांक 06.03.2026, उक्त प्रकिया दिनांक 13.03.2026 तक समय 06:30 PM तक जारी रहेगी। अतः सभी पात्र / इच्छुक फर्म / निविदाकर्ता संस्थाऐं इस ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में नियत दिनांक 13.03.2026 तक समय 06:30 PM तक भाग ले सकती हैं।

(डॉ. वीणा सत्य)
प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बडवानी

G27033/25

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि संपत्ति 'मकान नंबर 114, छोटी खजरानी, बावड़ी के सामने, सर्वे नंबर 219/1 का भाग, इंदौर-452001' से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज़, जो **वर्षा सोनगरा** के नाम पर ऋण खाता नं. 0IDR1704000005005494 में सुरक्षा के तौर पर रखे गए थे, **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय से गुम/खो गए हैं। यह कार्यालय 425, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, हरियाणा में स्थित है।**

दस्तावेज के गुम/खो जाने की सूचना दिनांक 9.03.2026 को संबंधित हरियाणा पुलिस को उनके पोर्टल 'हरियाणा पुलिस सिटिजन सर्विस' पर आवेदन संख्या 13227095260096 के माध्यम से दी गई है। यदि यह दस्तावेज किसी को मिलता है, तो कृपया इसे कंपनी के पते 'शुभम हाउस, 425, उद्योग विहार, फेज.-IV, गुरुग्राम, हरियाणा-122015' पर लौटा दिया जावे।

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
शुभम हाउस, 425, उद्योग विहार, फेज- IV, गुरुग्राम, हरियाणा-122015

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
G.E. Road, Raipur - 492010 (CG) Phone: (0771) 2252700
Email: registrar@nitrr.ac.in | Website: www.nitrr.ac.in

No./NITRR/R-1/Advt./2026/777 Raipur, Date:10/03/2026

भर्ती सूचना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान रायपुर (छ.ग.) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। संस्थान में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक पद की भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप (निर्धारित फार्म की हार्ड कापी) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

नियमित नियुक्ति				
क्र. सं	पद का नाम	वेतन लेवल (7वें वेतन आयोग)	पद संख्या: अना.	पद संख्या: कुल संख्या
1	प्रधान तकनीकी अधिकारी (आईसीटी)	वेतन लेवल-14	1	1

कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट https://nitrr.ac.in/advertisement.php का अवलोकन करें। आवेदन शुरू होने की तारीख 10.03.2026 है। आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2026 (शाम 5 बजे) है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि भर्ती संबंधी जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट https://nitrr.ac.in/advertisement.php का अवलोकन नियमित रूप से करते रहें।

कुलसचिव (प्रभारी)

कोल्हापूर महानगरपालिका
(शहर पाणी पुरवठा ड्रेनेज विभाग)

ई जाहीर निविदा नोटीस क्र. १३५/२०२५-२६

सर्व ठेकेदार यांना कळविणेत येते की, महानगरपालिका प्रोत्साहन अनुदान अंतर्गत कोल्हापूर शहरातील विविध ठिकाणचे जुने नादुरुस्त व्हॉल्व बदलणे तसेच पाणी पुरवठा व ड्रेनेज अनुषंगाने इतर कामे या कामाकरीता महा ई निविदा मागविणेत येत आहेत. या कामांची सविस्तर तपशिल www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

➢ निविदा फॉर्म प्राप्त करणेचा, बयाणा रक्कम भरणेचा व निविदा फॉर्म सादर करणेचा कालावधी दि. ११-०३-२०२६ पासून दि. २५-०३-२०२६ अखेर आहे.

सही/-
जल अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	32681912	संपत्ति के बदले ऋण	27.01.2026	1,95,822.96/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. जितेंद्र सिंह ठाकुर 2. गंगा बाई 3. इंदर सिंह सेंधव

संपत्ति का पताः सरकारी पट्टा संख्या 697-बी-121-2013-2014, दिनांक 18-02-2014 को जारी की गई, 36 x 29.8 वर्ग फुट, यानी 1072.8 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जो आबादी खसरा/सर्वेक्षण संख्या 1090, पी.एच. संख्या 10, ग्राम मालपुरा, तहसील सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है, और उक्त संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः सोबल सिंह की भूमि, दक्षिणः बहादुर सिंह की भूमि, पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः सार्वजनिक सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	156405115	संपत्ति के बदले ऋण	14.02.2026	3,88,062.09/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. धन सिंह चौहान 2. प्रमिला चौहान

संपत्ति का पताः प्लॉट संख्या 136 (पी) का वह पूरा भाग, जिसका वर्तमान निर्मित क्षेत्रफल (भूतल सहित) 64 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 43 (बी), नया पीएच नं. 00065, पीएच नं. 28 (कुमारखेड़ा), ग्रामः कुमारखेड़ा, ग्राम पंचायतः सीमा, तहसीलः गोगावां, जिलाः खरगोन, मध्य प्रदेश-451001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः प्लॉट संख्या 134 (पी), पश्चिमः प्लॉट संख्या 137 (पी), उत्तरः प्लॉट संख्या 130 (पी), दक्षिणः प्लॉट संख्या 146 (पी)।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	34155824	संपत्ति के बदले ऋण	26.02.2026	1,72,948.27/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. कचरू छोगा लाल 2. द्रोपदी कचरू

संपत्ति का पताः 700 वर्ग फुट (65.05 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति/प्लॉट, जो पीएच नं. 24, सर्वे नंबर 1598, गांवः गंधर्वपुरी, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है (सोनकच्छ तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.07.2018 को जारी सरकारी पट्टे के अनुसार), जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में स्थानीय सड़क, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में हाफिज शेख का घर, दक्षिण में राजेंद्र कारपेंटर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	122269589	संपत्ति के बदले ऋण	14.02.2026	6,64,891.59/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. पवन सिंह ठाकुर 2. आरती पवन 3. कुमार सिंह 4. शानू बाई

संपत्ति का पताः मकान संख्या 03, कुल भूखंड क्षेत्रफलः 3600 वर्ग फुट, ग्राम मालपुरा, पीएच नं. 10, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः फुलसिंह का बाड़ा, दक्षिणः सड़क, पूर्वः सड़क, पश्चिमः राय सिंह पुत्र भेरू सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	65209570	होम लोन	22.11.2025	2,72,181.91/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. संतोष मांगीलाल 2. राकेश संतोष 3. सेवंतीबाई संतोष

संपत्ति का पताः वह संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 47.58 वर्ग मीटर है, जिसमें वर्तमान निर्मित क्षेत्र (भूतल सहित) 47.58 वर्ग मीटर है, जिस पर मकान बना हुआ है, जो खसरा संख्या 94, ग्रामः दयालपुरा, पीएच नं. 05, ग्राम पंचायतः सीमा, तहसीलः गोगावां, जिलाः खरगोन, मध्य प्रदेश-451335 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में श्री महेश मंगत, पश्चिम में सामान्य सड़क, उत्तर में सामान्य सड़क, दक्षिण में श्री संजय।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 11.03.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

शाखा पता: यस बैंक लिमिटेड, वार्ड नंबर 8, आरएम टॉवर म्युनिसिपल नंबर 269, गोराकुंड चौराहा, राजवाड़ा के पास, महात्मा गांधी रोड, इंदौर, (म.प्र.) - 452001

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणी(यों)/ सह-ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) जो बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई ओवर ऋण सुविधाओं के मूल व ब्याज के पुनर्भुगतान में असफल रहे हैं और जिसकी ऋण खाता को नॉन-परफार्मिंग एस्सेट्स (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उन्हें सूचनाएं जारी की गई थी लेकिन उन्हें बिना कार्यवाहीं के वापस कर दिया गया और इसलिए एतद्द्वारा उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा सूचित किया जा रहा है।

क्रं.	खाता क्रमांक	ऋणी (यों)/ सह-ऋणी (यों) / बंधककर्ता(ओं) का नाम	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	एनपीए दिनांक / सूचना दिनांक
1	AFH00400 1856519	1. ब्रजेन्द्र श्रीवास्तव पिता हरिशंकर (ऋणी), 2. श्रीमती विनिता श्रीवास्तव (सह-ऋणी)	रु. 45,06,661.71 (रुपये पैंतालीस लाख छः हजार छः सौ इकसठ एवं इकहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 19-02-2026 तक	21-02-2026 / 13-02-2026
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी बृजेन्द्र श्रीवास्तव पिता श्री हरिशंकर तथा सह-ऋणी विनिता श्रीवास्तव द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: मकान क्रमांक 341 – A.M., आईडीए योजना क्रमांक 140, सेक्टर – ए, इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश का समस्त भाग एवं अंश जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 54 वर्ग मीटर है **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं :** पूर्व: प्लॉट क्रमांक 342, A.M., योजना क्रमांक 140, पश्चिम : प्लॉट क्रमांक 340, A.M., योजना क्रमांक 140 उत्तर : प्लॉट क्रमांक 359/358, A.M., योजना क्रमांक 140, दक्षिण : 7.50 मीटर चौड़ी रोड		
2	AFH004001 588629	1. देवांश कुशवाह पिता रुपनारायण कुशवाह (ऋणी), 2. रंजना कुशवाह पिता मोहनलाल भंडारी (सह-ऋणी)	रु. 27,67,073.98 (रुपये सत्ताईस लाख सडसठ हजार तिहेत्तर एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) दिनांक 10-02-2026 तक	16-02-2026 / 02-01-2026
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं बंधककर्ता देवांश कुशवाह तथा सह-ऋणी एवं बंधककर्ता रंजना कुशवाह द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट क्रमांक 236, जिसका कुल क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर (968.4 वर्ग फीट) है, जूनियर वैशाली एवेन्यू, वार्ड क्रमांक 22, देवास, मध्य प्रदेश का समस्त भाग एवं अंश **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं :** पूर्व : प्लॉट क्रमांक 231, पश्चिम : कॉलोनी रोड, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 235		
3	AFH004000 925014	1. कृष्णा सागर (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. शालिनी परमार (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	रु. 15,07,969.33/-(रुपये पन्द्रह लाख सात हजार नौ सौ उनसत्तर एवं तैंतीस पैसे मात्र) दिनांक 19-06-2025 तक	19-06-2025 / 13-06-2025
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं बंधककर्ता कृष्णा सागर तथा सह- ऋणी एवं/या बंधककर्ता शालिनी परमार द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट क्रमांक 381, सिल्वर पार्क कॉलोनी, ग्राम सुखलिया, प.ह.नं. 26 (नया नं. 55), जिला देवास, मध्य प्रदेश – 455111 स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उक्त **संपत्ति की सीमाएँ** निम्नानुसार हैं : पूर्व : अन्य भूमि, पश्चिम : कॉलोनी रोड, उत्तर : प्लॉट क्रमांक 380, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 382		
4	AFH004002 026756	1. श्री गोविन्द सिकरवार पिता सतेन्द्र सिंह सिकरवार (ऋणी), 2. श्रीमती सोनिया सिकरवार पति गोविन्द सिकरवार (सह-ऋणी)	रु. 33,71,774.72/- (रुपये तैंतीस लाख इकत्तर हजार सात सौ चौहत्तर एवं बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 10-02-2026 तक	16-02-2026 / 13-01-2026
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं बंधककर्ता गोविंद सिकरवार तथा सह-ऋणी एवं बंधककर्ता श्रीमती सोनिया सिकरवार द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट क्रमांक 299, अम्बिकापुरी, ग्राम – छोटा बांगड़्दा, इंदौर – 452006, मध्य प्रदेश स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **उक्त संपत्ति की सीमाएँ** निम्नानुसार हैं – पूर्व : प्लॉट क्रमांक 299 का शेष भाग, पश्चिम : प्लॉट क्रमांक 299 का शेष भाग, उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 300		
5	AHF00400 0731934	1. श्री नीलेश जाट (ऋणी बंधककर्ता) 2. रीता जाट (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	रु. 18,56,535.57 /- (रुपये अठारह लाख छप्पन हजार पाँच सौ पैंतीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) दिनांक 16-05-2025 तक	16-05-2025 / 14-12-2023
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं बंधककर्ता नीलेश जाट तथा सह-ऋणी एवं बंधककर्ता रीता जाट द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: फ्लैट क्रमांक 611, आनंद हेरिटेज, छठी मंजिल, ग्राम बिचोली मरदाना, तहसील इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश – 452016 स्थित आवासीय फ्लैट, **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं :** पूर्व : कॉरिडोर, पश्चिम : ओपन डक्ट, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : फ्लैट क्रमांक 610		
6	MOR00400 1126501	1. पुष्पश्री (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. रेखा प्रजापत (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	रु. 15,78,482.72/-(रुपये पन्द्रह लाख अट्ठहत्तर हजार चार सौ बयासी एवं बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 20-08-2025 तक	22-08-2025 / 13-08-2025
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं/या बंधककर्ता पुष्पाश्री तथा सह-ऋणी एवं/या बंधककर्ता श्रीमती रेखा प्रजापात द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: आवासीय मकान, पुराना नगर निगम क्रमांक 20/375 एवं 20/378, नया क्रमांक 20/420/5/7, स्थित वार्ड क्रमांक 20, जुनिकलाल सेरी, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश (वार्ड क्रमांक 25) में, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 330 वर्ग फीट है **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं :** पूर्व : अन्य का मकान, पश्चिम : सड़क, उत्तर: श्रीमती बृजकुंवर का मकान, दक्षिण : भेरूलाल का मकान		
7	MIC00400 1413273	1. रवि बाथम(ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. अमरसिंह बाथम (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	रु. 26,12,091.93/-(रुपये छब्बीस लाख बारह हजार इक्यानवे एवं तेरानवे पैसे मात्र) दिनांक 20-08-2025 तक	22-08-2025 / 13-08-2025
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं/या बंधककर्ता रवि बाथम तथा सह-ऋणी एवं/या बंधककर्ता अमर सिंह बाथम द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: मकान क्रमांक 728 का एक भाग, स्थित वार्ड क्रमांक 04, पटवारी हल्का क्रमांक 23, भगत सिंह मार्ग, महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश – 451224 में स्थित आवासीय संपत्ति **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं** पूर्व : भावसार का प्लॉट, पश्चिम : प्रकाशचंद का मकान, उत्तर : रोड		
8	AFH00400 1250897	1. श्री सुनील यादव (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. श्री हुकुम सिंह यादव एवं श्रीमती आशा बाई (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	रु. 13,67,282/- (रुपये तेरह लाख सड़सठ हजार दो सौ बयासी मात्र) दिनांक 15-12-2025 तक	15-12-2025 / 08-10-2025
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी एवं/या बंधककर्ता सुनील यादव, सह-ऋणी एवं/या बंधककर्ता हुकुम सिंह यादव तथा सह-ऋणी एवं/या बंधककर्ता आशा बाई द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट क्रमांक 45, श्री बालाजी नगर, भूमि सर्वे क्रमांक 970/2/जमीन-2, ग्राम देवास जूनियर, तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश स्थित, जिसका कुल क्षेत्रफल 47.34 वर्ग मीटर है **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं –** पूर्व : मल्हार कॉलोनी, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट क्रमांक 44, दक्षिण: प्लॉट क्रमांक 46		
9	AFH00400 1155676	1. श्री विवेक लिखार पिता राजू लिखार (ऋणी), 2. राजू लिखार पिता मिश्रीलाल जी एवं रामप्यारी लिखार पति नारायण दास माथे (सह-ऋणी)	रु. 8,10,747/- (रुपये आठ लाख दस हजार सात सौ सैंतालीस मात्र) दिनांक 10-02-2026 तक	18-02-2026 / 05-01-2026
		सुरक्षा/बंधक संपत्ति का विवरण: ऋणी विवेक लिखार तथा सह-ऋणी राजू लिखार एवं रामप्यारी लिखार द्वारा बैंक के पक्ष में निम्नलिखित आवासीय संपत्ति बंधक रखी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट क्रमांक 1026, सैटेलाइट जंक्शन, ग्राम केलोद हाला, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (92.93 वर्ग मीटर) है **उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं** पूर्व : प्लॉट क्रमांक 955, पश्चिम : कॉलोनी रोड, उत्तर : कॉलोनी रोड, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 1026-A		

उपर्युक्त ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं) / जमानतदार (ओं) / बंधककर्ता (ओं) (जब भी लागू होते हैं) इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों** के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे विफल होने के बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात उपर्युक्त कदम उठाए जाएंगे।

इसके अलावा, यह आपके ध्यान में लाना है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी / बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो बिक्री पूरी नहीं होगी और सुरक्षित परिसंपत्ति को हमारे द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

नोट: इस नोटिस पर कोई भी जवाब/आपत्ति अधिकृत अधिकारी को नीचे दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए: अधिकृत अधिकारी, **पता: यस बैंक लिमिटेड, 9-1-1 एम.जी. रोड, ट्रेजर आइलैंड के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001**

दिनांक : 11.03.2026
स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते यस बैंक लिमिटेड